

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01/लेखा-1320/2025-

/पटना, दिनांक-

जनवरी, 2026

प्रेषक,

प्रीति सिन्हा
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अल्पकालीन पुनः निविदा आमंत्रण से संबंधित विज्ञापन सामग्री इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि राज्य में प्रकाशित होनेवाले सभी हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों (उत्तर बिहार के जिला संस्करण सहित) में दिनांक-14.01.2026 (बुधवार) को प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-
विशेष कार्य पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग।

ज्ञापांक-01/लेखा-1320/2025- 69

/पटना, दिनांक-

13 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि- आईटी0 मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को IPRD (Information & Public Relation Department, Govt of Bihar) के E-Advertisement पोर्टल पर विज्ञापन अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेश दिया जाता है कि संलग्न निविदा आमंत्रण सूचना पत्र को सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।


15/01/26
विशेष कार्य पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग।

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

अल्पकालीन पुनः निविदा आमंत्रण सूचना

(केवल ई-टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

1. कार्यों की विवरणी:—गन्ना उद्योग विभाग द्वारा विभागीय बिहार डायरी (उत्कृष्ट कोटि एवं सामान्य कोटि), नव वर्ष कैलेंडर, लीफलेट एवं बुकलेट इत्यादि का मुद्रण।

2. महत्वपूर्ण तिथियाँ:—

i.	विज्ञापन निर्गत करने की तिथि	12.01.2026
ii.	पुनः निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	22.01.2026 (संध्या 05 बजे तक)
iii.	प्री-बिड मीटिंग	19.01.2026 मध्याह्न 12:00 बजे ईखायुक्त, बिहार के कार्यालय कक्ष, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना।
iv.	पुनः निविदा खोलने की तिथि एवं समय	23.01.2026 पूर्वा० 11:00 बजे
v.	पुनः निविदा खोलने का स्थान	ईखायुक्त, बिहार का कार्यालय कक्ष (भूतल) विकास भवन, नया सचिवालय, पटना।
vi.	पुनः निविदा की वैधता अवधि	03 माह (90 दिन)

3. पुनः निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जाएगा।
4. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मध्यस्थता अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकार सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, गन्ना उद्योग विभाग होंगे एवं उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा।
5. न्यायिक विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार पटना होगा।
6. विस्तृत जानकारी गन्ना उद्योग विभाग के वेबसाइट:— <https://state.bihar.gov.in/sugarcane> पर भी देखी जा सकती है।


13/01/24
विशेष कार्य पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग
बिहार, पटना।